संं0-11/2018/243/29-3-2018-जी 13 /17

प्रेषक,

जी0पी0 कमल,

विशेाष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य एवं रसद विभाग,

जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2018

विषय- श्री गिरीश बल्लभ अग्रवाल के केन्द्र सादाबाद जनपद-हाथरस में विभागीय किरायेदारी में लिये गये गोदाम किराया वृद्धि के संबंध में।

महोदय

उपयुक्त विषयक अपने पत्र सं0-ले0शा0/2124/488/बजट दिनांक 08-3-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गिरीश बल्लभ अग्रवाल के केन्द्र सादाबाद जनपद-हाथरस में विभागीय किरायेदारी में लिये गये गोदाम किराये में वृद्धि करते हुए दिनांक 07-9-2011 से 30-11-2016 तक किराया रू0 45800.00(रू0 पैतालिस हजार आठ सौ मात्र) प्रति माह भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत गोदाम हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गयी हो तो उसका उपरोक्तानुसार समायोजन करते हए अन्य अवशेष औपचारिकताएं भी अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

4- उक्त मद में होने वाला वयय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्रापित तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश प्रशासकीय विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जी0पी0 कमल)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम सी0ए0एस0एस0।।।टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।

4- संभागीय खाद्य नियंत्रक अलीगढ़ संभाग अलीगढ़ ।

5- श्री गिरीश बल्लभ अग्रवाल निरंजन बाजार सादाबाद जनपद-हाथरस

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।